

प्रकरण सं. - 51/2024 पर्वतसिंह / आ. पंचायत देवाली

31/01/24

पत्रावली पत्रा डंडी वकील प्राची उप.

वकील प्राची ने अप्रार्थिता की तलबी हेतु PR तोड़कर पत्रा करने हेतु सम्य चार्ज है न्यायाधीश में अप्रार्थित अवसर इस हेतु पत्रा के साथ दिया जाता है कि आगामी तारीख पत्रा से पूर्व आवश्यक रूप से पत्रा करें, जो पत्रा होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.11.24 को पत्रा हो

अति. जिला कलेक्टर पाली

21.11.24

पत्रावली पत्रा डंडी वकील प्राची उप.

वकील प्राची शाब्दिक तारीख की पालना आवश्यक रूप से की पत्रावली दिनांक 21.12.24 को पत्रा हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2/12/24

वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इल्टवा होकर पत्रावली दिनांक 13/01/25 को पेश हो।

13/1/25

पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पेशी इल्टवा होकर पत्रावली दिनांक 11/2/25 को पेश हो।

11/02/25

पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पेशी इल्टवा होकर पत्रावली दिनांक 10/03/25 को पेश हो।

10/3/25

पत्रावली पत्रा डंडी वकील प्राची उप.

वकील प्राची को अप्रार्थिता की तलबी हेतु PR तोड़कर पत्रा करने हेतु सम्य अवसर व हेतु पत्रा दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थिता को इस आदेश की पालना नहीं की है। तदुपरान्त इसका अप्रार्थिता को तलबी हेतु PR तोड़कर पत्रा नहीं करने की दिशा में इतरात आदेश व सम्य 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली पत्रा डंडी आदेश होकर न्यायालय से आती

अति. जिला कलेक्टर, पाली